

06/06/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील अनु०।
न्यायालय समय में वकील प्रार्थी को लक-लक
कर तीन बार आवाज लगाई लेकिन कोई उप
नहीं आया। अतः प्रार्थी का आवेदन अदम
पैरवी अदम दायरी में खारीज किया जाता है।
पत्रावली फेंसन शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।